

अध्याय-II

अधिकार और हक़दारी

अध्याय-II

अधिकार और हक़दारी

राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी संशोधित नहीं किया गया था। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को एक वर्ष और आठ महीने से अधिक की देरी से लागू किया गया था। विभागों द्वारा विशेष योग्यजनों को आरक्षण पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किया गया था और विशेष योग्यजन कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद चार साल से अधिक समय से पदोन्नति में आरक्षण से वंचित थे।

राज्य आयुक्त कार्यालय में उसके आदेशों और निर्देशों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तंत्र का अभाव था। अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राज्य में राज्य सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति, राज्य निधि एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन नहीं होने से संबंधित मामले अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना में गंभीर कमियों को इंगित करते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 विभिन्न अधिकार और हक़दारियां प्रदान करता है जिसमें समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, प्रजनन अधिकार, मतदान में पहुंच, न्याय तक पहुंच, कानूनी क्षमता आदि शामिल हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रयासों और संस्थागत तंत्र की स्थापना की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

2.1 नई राज्य नीति को तैयार करना

राज्य सलाहकार बोर्ड को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 71 (2) के तहत राज्य की नीति विकसित करने और राज्य सरकार को दिव्यांगता के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर सलाह देने और राज्य में दिव्यांगता से संबंधित अन्य सरकारी / गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करने और दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिश करना और दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने को अनिवार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी, अक्टूबर 2022 तक राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को संशोधित नहीं किया गया था।

नीति में संशोधन के अभाव के संबंध में राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा नई नीति तैयार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी और उस नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को नई राज्य नीति में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में राज्य सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए समावेशन पर नवीनतम राष्ट्रीय और वैश्विक प्रोत्साहन के अनुरूप एक समकालीन नीति, जिसमें विशेष योग्यजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित हों, उपलब्ध हों।

2.2 राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 का कार्यान्वयन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 के अनुसार, राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख (अप्रैल 2017) से छह महीने के भीतर नियम बनाने की आवश्यकता थी। राजस्थान में, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 को अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष आठ महीने व्यतीत हो जाने के बाद जनवरी 2019 में लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के कार्यान्वयन में देरी के कारण, कुछ महत्वपूर्ण तंत्र, जो अधिनियम में अनिवार्य है, जो कि अनुच्छेद 2.5 में बताये गये हैं या तो स्थापित नहीं किया गया था या देरी से स्थापित किया गया था जिसके कारण लाभार्थी उनके अधिकारों और हकदारियों से वंचित रहे थे। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

2.3 विशेष योग्यजनों को आरक्षण प्रदान करना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34 में विशेष योग्यजनों को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में चार प्रतिशत⁵ आरक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान अधिनियम में एक प्रतिशत की वृद्धि (निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में प्रावधान की तुलना में) बौद्धिक दिव्यांगता⁶, मानसिक रुग्णता, बहु-दिव्यांगता, स्वालीनता और विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए थी। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) और (3) में पदोन्नति में आरक्षण और रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।

5 चार प्रतिशत: गतिविषयक दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता के लिए एक-एक प्रतिशत और बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वालीनता, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता के लिए एक प्रतिशत।

6 बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से प्रतिदिन कमी होना है जिसके अन्तर्गत 'विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता' और 'स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार' सहित दैनिक, सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 अधिसूचित (जनवरी 2019) होने के बाद, कार्मिक विभाग ने विशेष योग्यजनों के आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक आदेश (अगस्त 2019) जारी करने में छह महीने ओर लिए गये।

राज्य स्तर पर इन आदेशों के अनुपालन के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार से सूचना मांगी गई थी (जुलाई 2021)। लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है (दिसम्बर 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में पदोन्नति में आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और अंकों में छूट से संबंधित प्रावधानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधिनियमन होने के चार साल बाद अधिसूचित किया गया था (अक्टूबर 2021)। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण किया जाए।

2.4 समान अवसर के लिए नीति

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी दिव्यांग के साथ रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए और सरकार दिव्यांग कर्मचारियों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकती है। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-IV के (कौशल विकास और नियोजन) प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का विवरण⁷ देते हुए समान अवसर नीति को अधिसूचित करना था और प्रत्येक प्रतिष्ठान को उक्त नीति की एक प्रति राज्य आयुक्त के पास पंजीकृत करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य में समान अवसर नीति लागू नहीं की गई थी क्योंकि इसे अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)। तथापि, राजस्थान सरकार ने समान अवसर नीति के अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति को शीघ्र अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

7 सुगम्यता के सम्बन्ध में विशेष योग्यजनों के लिए उपयुक्त पद की पहचान, भर्ती के बाद प्रवेश और पदोन्नति प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पोस्टिंग नीतियां आदि के संबंध में।

2.5 अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र

2.5.1 मूल्यांकन बोर्ड का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि संदर्भित दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे⁸ की आवश्यकता समझता है या उसके निर्मित कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किये जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। अधिक सहारे की आवश्यकता के लिए आवेदन को जिला स्तर पर एक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2021-जनवरी 2022) कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के चार साल से अधिक समय बाद सितंबर 2021 में जिला स्तर पर मूल्यांकन बोर्ड गठित करने का आदेश जारी किया था। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

2.5.2 दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति का गठन

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य स्तर पर दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति का गठन विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में और अन्य सदस्यों⁹ से किया जाना चाहिए।

निदेशालय, विशेष योग्यजन के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राज्य स्तर पर दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिये समिति का गठन राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं किया गया था (मार्च 2021)।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिये राज्य समिति के गठन की प्रक्रिया उचित स्तर पर विचाराधीन थी।

- 8 अधिक सहारे का अर्थ है एक गहन समर्थन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अन्यथा, जिसकी आवश्यकता संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों (जैसे ब्रश करना, कंघी करना, कपड़े पहनना, स्वच्छ शौचालय, आदि) स्वतंत्र रूप से करने और सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय सूचित करने के लिये हो सकती है और शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामुदायिक जीवन तथा उपचार और चिकित्सा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेना।
- 9 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक, विशेष योग्यजन और विशेष योग्यजन या पंजीकृत राज्य स्तरीय संगठन के पांच सदस्य जो निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.5.3 राज्य निधि का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा एक निधि का गठन किया जाना चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि कहलाएगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 35 ने राज्य में दिव्यांगों के कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, निर्देशन, परामर्श और सामाजिक उत्थान आदि उद्देश्यों के लिए राज्य निधि के उपयोग को निर्दिष्ट किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के अधिनियमन के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राज्य में सितम्बर 2022 तक विशेष योग्यजनों के लिए राज्य निधि का गठन नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विशेष योग्यजनों के लिए आवंटित बजट ही राज्य निधि के रूप में माना गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विशेष प्रयोजन निधि का सृजन बजटीय आवंटन से पूर्णतया भिन्न है।

2.5.4 विशेष योग्यजनों के लिए राज्य आयुक्त

राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन का कार्यालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत राज्य में स्थापित किया गया था और इसे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के तहत प्रावधानों के कार्यान्वयन और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई थी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त को स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करनी चाहिये और सुधारकारी कार्यवाही के लिये समुचित अधिकारियों के पास मामले को उठायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में प्रावधान हैं कि राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्रयोजन के लिये विशेष योग्यजनों के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय¹⁰ की शक्तियाँ रखता है।

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य आयुक्त के न्यायालय में विशेष योग्यजनों को अधिकारों से वंचित करने से संबंधित 61 मामले¹¹ (स्वप्रेरणा के आधार पर एक मामले सहित) दर्ज किए गए, जिनमें से 57 मामले निर्णित हुए (2016-21 के दौरान) और अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए।

10 जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अदालत में निहित है।

11 61 मामले: 2016-17: 11; 2017-18: 20; 2018-19: 08; 2019-20: 18 और 2020-21: 4

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य आयुक्त के कार्यालय में पीड़ित विशेष योग्यजनों की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था।

उपायुक्त, विशेष योग्यजन ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अगस्त 2021) कि यदि पीड़ित याचिकाकर्ता अपनी शिकायत पर समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह पुनः अपील प्रस्तुत करता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है और शिकायतों के अभिलेख तकनीकी कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं किए गये थे।

2.5.5 राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 66 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को विभाग¹² के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड (रासबो) का गठन करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक यह महत्वपूर्ण तंत्र गठित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2022)।

अनुच्छेद 2.5.1 से 2.5.5 में बताये गए मुद्दे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना में गंभीर कमियों को इंगित करते हैं। इसने राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दोषपूर्ण कार्यान्वयन में योगदान दिया है, जिससे राज्य की 2.28 प्रतिशत आबादी उनके कानूनी अधिकारों और लाभों से वंचित रही।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है।

12 और इसमें विभिन्न विभागों के शासन सचिवों, राज्य विधानमंडल के तीन सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित किए गये 23 सदस्य भी शामिल हैं।